0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)

कुलसचिव

Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–२२१००२

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi-221002

पत्रांकः–कु0स0–2सी.समिअ / 2089 / कार्य परि0बैठक 04–3 / 2014 दिनांकः– 31 मई, 2014

<u>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक- 01.05..2014 का कार्यवृत्त</u>

मा0कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्य परिषद् की बैठक दिनांक **01.05.2014** को अपराह्न **03:30** बजे **पंत प्रशासनिक भवन** स्थित **'डॉ0सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष'** में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1– डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–अध्यक्ष
2– प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–सदस्य
3– डॉ0समरजीत सिंह, संकायाध्यक्ष, कृषि संकाय, रीडर, मु0म0टा0स्नातको0 महा0, बलिया	–सदस्य
4– प्रो0अवध नारायण दूबे, राजनीति विज्ञान विभाग	–सदस्य
5– प्रो0नन्दलाल, राजनीति विज्ञान विभाग	–सदस्य
6– डॉ0पंचदेव सिंह, देवेन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिल्थरा रोड, बलिया	–सदस्य
7– डॉ0अरविन्द कुमार राम, प्राचार्य, डॉ0श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज0महा0, भदोही,सं0र0न0	–सदस्य
8– डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उपाचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
9– डॉ0संजय, उपाचार्य, समाजकार्य विभाग	–सदस्य
10–डॉ0 उमानाथ श्रीवास्तव, उपाचार्य, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागांव, वारा0	–सदस्य
11–डॉ0सभाजीत सिंह यादव, उपाचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	–सदस्य
12–डॉ0महेन्द्र मोहन वर्मा, उपाचार्य, समाजकार्य विभाग	–सदस्य
13–डा0रमेश चन्द्र, उपाचार्य, हिन्दी विभाग	–सदस्य
14–डॉ0 सुरेन्द्र राम, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	–सदस्य
15–डॉ0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा, प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग	–सदस्य
16–डॉ0 पारस नाथ मौर्य, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
17–डॉ0 साहब लाल मौर्य, कुलसचिव	–सदस्य / सचिव
वित्त अधिकारी, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी	–विशेष आमंत्रित
प्रो0के0के0 अग्रवाल, एसोसिएट–एन.सी.सी. आफिसर	–विशेष आमंत्रित

<u>बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गयेः–</u>

<u>बिन्दु सं0(01)–</u> कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

<u>निर्णय –</u> कार्य परिषद की गत बैठक दिनांक 20.03.2014 की कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार के समय कतिपय सदस्यों द्वारा बिन्दु–01 के अन्तर्गत डॉ0सुशील कुमार गौतम के नाम के पश्चात् ''सदृश्य'' शब्द जोड़ने के निर्णय का उल्लेख किया गया जिससे परिषद सहमत हुई।

परिषद के मा0 सदस्य डॉ0आर0पी0 सिंह (संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय) ने अध्यक्ष की अनुमति बिन्दु संख्या–01 के अन्तर्गत (छात्र कल्याण संकाय के प्रस्ताव बिन्दु–02) में लिये गये निर्णय **''उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र होना अनिवार्य होगा। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा इसके समतुल्य कोई पाठ्यक्रम यथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम एवं एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो**

सकते।........।'' उक्त पैरा में **''यथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम''** शब्दों को टंकण त्रुटि बताया। परिषद ने उक्त टंकण त्रुटि को विलोपित करने के निर्णय के साथ कार्यवृत्त को पुष्ट किया और कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

बिन्दु सं0(02)– महामहिम कुलाधिपति के आदेश पत्र संख्या– ई–2478/जी0एस0 दिनांक 19 मार्च, 2014 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या–4/2009 द्वारा अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा विभाग हेतु विज्ञापित लेक्चरर (असिस्टेंट प्रोफेसर) अनुसूचित जाति संवर्ग पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17.08.2010 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय – परिषद ने विचार–विमर्श के अनन्तर महामहिम कुलाधिपति के आदेश संख्या– ई–2478/जी0एस0 दिनांक 19 मार्च, 2014 के अनुपालन में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा विभाग के अन्तर्गत लेक्चरर (असिस्टेंट प्रोफेसर) अनु0जाति संवर्ग के 02 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17.08.2010 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धी लिफाफा को खोला गया। चयन समिति की संस्तुति से अवगत होते हुए परिषद ने संस्तुत 02 पदों पर अधोलिखित चयनित व्यक्तियों को चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात् नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया–

क्रमांक	नाम
1.	श्री प्रदीप
2.	डॉ0नीरज कुमार सोनकर

बिन्दु सं0(03)– महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव के पत्र संख्या– ई–2529/जी0एस0 दिनांक 21 मार्च, 2014 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (2)(क) के अन्तर्गत नये कुलपति की खोज के लिए खोज समिति हेतु सदस्य नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय – परिषद ने विचार–विमर्श के अनन्तर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(2)(क) के अन्तर्गत नये कुलपति की खोज के लिए खोज समिति हेतु सदस्य नामित किये जाने के लिए कुलपति जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(04)– श्री नागेश्वर सिंह, अध्यक्ष, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रबन्धन एसोसिएशन के पत्र दिनांक 11.04.2014, जो म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी प्रथम परिनियमावली 2011 के परिनियम खण्ड 12 क.05 (घ) में निहित ''और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा'' के सम्बन्ध में है, पर विचार।

(सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा –50 (4) में दी गयी शक्तियों के आलोक में महामहिम कुलाधिपति ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिनियमावली के परिनियम खण्ड 10.05 (ङ) से ''और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई भी पद धारण नहीं करेगा।'' को विलुप्त किये जाने की दी गयी अनुमति के अनुपालन में कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को महामहिम कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि) का पत्र संख्या– ई. 10152/20–जी0एस0/13–I दिनांक 20.12.2013 निर्गत हुआ है।)

निर्णय – परिषद ने विचार–विमर्श के अनन्तर अध्यक्ष, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रबन्धन एसोसिएशन के पत्र दिनांक 11.04.2014 के प्रस्ताव के क्रम में म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी, प्रथम परिनियमावली 2011 के परिनियम खण्ड 12 क 05 (घ) में निहित ''और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।'' को निरसित करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :–

बिन्दु सं0(01)– श्री जयशंकर प्रसाद सिंह, लेखाकार, वित्त विभाग का परीविक्षण काल दिनांक 27.03.2003 को पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 28.03.2003 से स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

परिषद ने विचार–विमर्श के अनन्तर श्री जयशंकर प्रसाद सिंह, लेखाकार, वित्त विभाग का परीविक्षण काल दिनांक 27.03.2003 को पूर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 28.03.2003 से स्थायीकरण किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(02)– श्री राकेश कुमार मिश्र, अधीक्षक, यू0जी0सी0 यूनिट द्वारा वित्त विभाग में अधीक्षक पद का दायित्वनिर्वहन करते हुए तथ्यों को छिपाने एवं जांच में असहयोग करने के कारण पत्रांक –कु0स0/9426/2ए साप्र–II (व्यक्ति0)/2014 दिनांक 15 मार्च, 2014 द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रेषित पत्र दिनांक 24 मार्च, 2014 पर विचार।

वित्त विभाग के पी0एफ0 काउण्टर पर हुई अनियमितता के सम्बन्ध में कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्याः कु0स0/9426/2ए–II (व्यक्ति)/2014 दिनांक 15 मार्च, 2014 के कम में दिये गये उत्तर श्री राकेश कुमार मिश्र, अधीक्षक, यू0जी0सी0 यूनिट के पत्र दिनांक 24 मार्च, 2014 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे परिषद अवगत हुई और विचार–विमर्श के अनन्तर श्री मिश्र का कोई दोष परिलक्षित न होने के कारण इन्हें दोषमुक्त किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(03)– कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत अध्यापकों के प्रोन्नति हेतु दिनांक 30.04.2014 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुति पर विचार।

कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत दिनांक 30.04.2014 को सम्पन्न क्रमशः गणित एवं शिक्षा शास्त्र विषय की स्क्रीनिंग/चयन समिति की संस्तुति पर विचार हेतु परिषद के समक्ष रखा गया। परिषद ने विचार–विमर्श के अनन्तर दिनांक 30.04.2014 को सम्पन्न स्क्रीनिंग/चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धी लिफाफा खोलने हेतु मा0 कुलपति को अधिकृत करने के निर्णय के साथ ही यह भी निर्णय लिया कि कुलपति महोदय चुनाव आचार संहिता समाप्त होने पर लिफाफा खोल कर अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न करायें। यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य विषयों में भी अर्ह अध्यापकों के प्रोन्नति हेतु चयन समिति सम्पन्न करायी जाय।

बिन्दु सं0(04)– परिषद के कतिपय मा0सदस्यों द्वारा 07 अध्यापकों के दो वर्ष के रूके हुए वेतन भुगतान का प्रकरण रखा गया। सदन को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित अध्यापकों के विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा पृच्छा की जा रही है कि रूके हुए अवधि में क्या सेवानिवृत्त अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य लिया गया है ? सूचना प्राप्त होने पर शासन को अवगत कराते हुए वेतन भुगतान की अनुमति प्राप्त की जायेगी। परिषद उक्त सूचना से अवगत हुई और शीघ्र वेतन भुगतान कराने का निर्णय लिया।

बिन्दु सं0(05)– कार्य परिषद के कतिपय सदस्यों ने शासनादेश संख्या–373/सत्तर–4–2.014 दिनांक 26 मार्च, 2014 द्वारा सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में शासनादेश 02.01.2006 के अनुसार कार्यरत आरक्षित संवर्ग के कर्मचारियों के विनियमतीकरण हेतु शासन को वांछित प्रस्ताव भेजने की मांग किया।

परिषद ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.08.2013 (बिन्दु–05 'पूरक') के अन्तर्गत समिति गठित है। अतः उसी समिति से प्रस्ताव प्राप्त कर आरक्षित संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनियमतीकरण हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाय।

बिन्दु सं0(06)– कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2014 के बिन्दु संख्या–01 (अध्यक्ष की अनुमति से) में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद के मा0 सदस्य डॉ0आर0पी0 सिंह (संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय) ने **तिलक महाविद्यालय, औरैया** से सम्बन्धित छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2013 को पारित आदेश को पढ़ा गया और अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण पत्रावली के साथ आगामी कार्य परिषद में रखने हेतु निर्देश दिया साथ ही यह भी निर्णय लिया कि छात्र संघ नियमावली का यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य/चुनाव अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा उलंघन किया जाता है तो इसकी जानकारी संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय द्वारा कार्य परिषद को दी जायेगी।

बिन्दु सं0(07)– विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में बिना पद के कार्यरत् 'अध्यापकों के समायोजन के प्रकरण में विधिक राय को परिषद के समक्ष पढ़ा गया। परिषद विधिक राय से अवगत हुई और निर्णय लिया कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

अन्त में धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
डॉ0(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव